रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2018/फाल्गुन 23, 1939
No. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018/PHALGUNA 23, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

सा. का. नि. 226(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **2**, खंड **3**, उपखंड **(i)**, तारीख **13** फरवरी, **2018** में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय **(**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**)** की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं. **169** के हिन्दी पाठ में**:--**

(i) पृष्ठ **1** पर, अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में **"**भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र,**"** शब्द के पश्चात् **'**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,**'** शब्द अन्तःस्थापित करें।

(ii) पृष्ठ **1**, नियम **1** के उपनियम **(1)** में 'सह आचार्य और सहायक आचार्य' शब्द और कोष्ठक के पश्चात् **"**समूह 'क' पद**"** अन्तःस्थापित करें।

(iii) पृष्ठ **1**, नियम **3** में "इन नियमों से उपाबद्ध**"** शब्दों का लोप करें।

(iv) पृष्ठ **1**, नियम **5** में **--**

(क**) "**ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के निदेशक आचार्य,**"** शब्दों का लोप करें**;**

(ख**) "**किए गए समझे जांएगे। उक्त पदों पर**"** शब्दों के स्थान पर **"**किए गए समझें जांएगे और उक्त पदों पर**"** पढ़े**;**

(ग**)** "उच्चतम ग्रेड" शब्दों के स्थान पर "उच्चतर ग्रेड" पढ़े।

(v) पृष्ठ **2, 4** और **7** पर अनुसूची के स्तंभ **(2)** में **--**

(क**)** क्रम सं**0 (xii)** पर "जीवाणु विज्ञान" शब्द के स्थान पर "सूक्ष्म जीव विज्ञान" पढ़े**;**

(ख) क्रम सं0 (xviii) पर "लोक स्वास्थ्य" शब्द के स्थान पर "मरक विज्ञान और जैव सांख्यिकी" पढ़े ।

(vi) पृष्ठ 3,6 और पृष्ठ 9 पर, स्तंभ 11 में "समय-समय पर विहित सुसंगत क्षेत्र" के स्थान पर "समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सुंसंगत क्षेत्र" पढ़े ।

(vii) पृष्ठ 4, 7 और 10, स्तंभ 6 के टिप्पण में "भारत में" शब्दों का लोप करें ।

(viii) पृष्ठ 6 और 9 के स्तंभ 07 में टिप्पण 5 में "उपलब्ध होने कि संभावना" के स्थान पर "उपलब्ध होने की संभावना" पढ़े ।

(ix) पृष्ठ 6 और 9 के स्तंभ 10 में टिप्पण में "भर्ती तब आनुज्ञात की" के स्थान पर "भर्ती तब अनुज्ञात की" पढ़े ।

(x) पृष्ठ 6 के स्तंभ 11 में "(78800-202900 रू0) के स्तर 13" के स्थान पर "(78800-209200 रू0) के स्तर 12" पढ़े ।

(xi) पृष्ठ 4,5,7,8,10 और पृष्ठ 11 में स्तंभ 7 में क्रम (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़े-

"(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) डिग्री अर्हता और तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) निम्नलिखित विशिष्टता या अति-विशिष्टता पाठ्यक्रमों में स्नात्कोतर डिग्री, अर्थातः-

(क) संवेदनाहरण विज्ञान: डॉक्टर ऑफ मेडिसन (संवेदनाहरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (संवेदनाहरण विज्ञान); या

(ख) हृदय रोग विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या

(ग) हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्साः मेजिस्टर चीरूरगुई (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा); या

मेजिस्टर चीरूरगुई (वक्षीय शल्य चिकित्सा); या

मेजिस्टर चीरूरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा); या

मेजिस्टर चीरूरगुई (वाहिकीय शल्य चिकित्सा); या

(घ) जठर तंत्र आयुर्विज्ञानः डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठर तंत्र आयुर्विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठर तंत्र); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ जठर तंत्र में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण; या

(ङ) शल्य चिकित्सा जठर तंत्रः मेजिस्टर चीरूरगुई (शल्य चिकित्सा जठर तंत्र); या शल्य चिकित्सा निष्णात (शल्य चिकित्सा) के साथ शल्य चिकित्सा जठर तंत्र में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण; या

(च) वृक्क रचना विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (वृक्क रचना विज्ञान); या

(छ) तंत्रिका विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (तंत्रिका विज्ञान); या

(ज) तंत्रिका शल्य चिकित्सा: मेजिस्टर चीरूरगुई (तंत्रिका शल्य चिकित्सा); या

(झ) नेत्र विज्ञानः शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान); या डॉक्टर ऑफ मेडिसन (नेत्र विज्ञान); या

(ञ) विकृति विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (विकृति विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ साइन्स (विकृति विज्ञान);या

(ट) रक्त अंतरणः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षी रूधिर विज्ञान और रक्त अंतरण); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या रूधिर विज्ञान) के साथ दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव या प्रतिरक्षी रूधिर का विज्ञान और रक्त अंतरण विभाग में विशेष प्रशिक्षण; या

(ठ) सूक्ष्म जीव विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या

बैचलर इन मेडिसन एंड बैचलर इन सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान); या

विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान); या

विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइन्स (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान); या

विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या

विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ डॉक्टर ऑफ साइन्स (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या

(ड) मनोरोग विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोचिकित्सक आयुर्विज्ञान); या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ मनोचिकित्सक आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा; या

मनोरोग विज्ञान (ईडआईएन) में दो वर्षीय डिप्लोमा; या मनोरोग विज्ञान (मैकगिल) विश्वविधालय मांट्रियल, कनाडा से दो वर्षीय डिप्लोमा; या

(ढ) फुफ्फुसीय आयुर्विज्ञानः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और श्वसन रोग); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ क्षय रोग में डिप्लोमा या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा; या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और वक्ष रोग); या

(ण) विकिरण निदानः डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (रेडियो-डाईग्नोसिस); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (रेडियोलोजी); या

शल्य चिकित्सा निष्णात (रेडियोलोजी); या

(त) चिकित्सीय अर्बुदविज्ञानः मेजिस्टर चीरूरगुई (चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान); या

शल्य चिकित्सा निष्णात या शल्य चिकित्सा निष्णात (कान, नाक, गला); या

शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थभंग विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान में

दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण; या

(थ) इंडोक्रिनोलाजीः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलाजी); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण; या

(द) मरक विज्ञान और जैव सांख्यिकीः डॉक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारण आयुर्विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन); या

डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन); या

(ध) मूत्र विज्ञानः मेजिस्टर चीरूरगुई (मूत्र विज्ञान)"

(xii) पृष्ठ **5,** स्तंभ **7** के टिप्पण **3** में "विषय-वाद विहित" के स्थान पर "विषय-वार विनिर्दिष्ट" पढ़े ।

(xiii) पृष्ठ **6,** स्तंभ **12** की पंक्ति **6** में "केन्द्र-अध्यक्ष" के स्थान पर "केन्द्र-सदस्य" पढ़े ।

(xiv) पृष्ठ **7,** के मद **(vii)** के सामने **03** अंतःस्थापित करें ।

(xv) पृष्ठ **8,** स्तंभ **7** में **(iii)** के स्थान पर निम्नलिखित पढ़े **-**

"(iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त् करने के पश्चात् किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संबंधित विशिष्टता या अतिविशिष्टता में ज्येष्ठ रेसिडेंट या अनुशिक्षक या प्रदर्शक या रजिस्ट्रार या व्याख्याता के रूप में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष सह-आचार्य के रूप में रहा हो ।"

(xvi) पृष्ठ **8,** टिप्पण **1** की पंक्ति **2** में "रेजीडेंसी की अवधी को अध्यापन" के स्थान पर "रेजीडेंसी की अवधि को पाँच वर्ष के" पढ़े ।

(xvii) पृष्ठ **9,** टिप्पण **3** में "विषय-वाद विहित" के स्थान पर "विषय-वार विनिर्दिष्ट" पढ़े ।

(xviii) पृष्ठ **9,** स्तंभ **10** में, टिप्पण की पंक्ति **2** में "जब आचार्य" के स्थान पर "जब सह आचार्य" पढ़े ।

(xix) पृष्ठ **9,** स्तंभ **2** में **"53*(2018)"** के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित करें **–**

"

क्रम स.	विभाग	पदों की संख्या
(i)	संवेदनाहरण विज्ञान	08
(ii)	हृदय रोग विज्ञान	03
(iii)	हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा	04
(iv)	जठर तंत्र आयुर्विज्ञान	03
(v)	शल्य चिकित्सा जठर तंत्र	03
(vi)	वृक्क रचना विज्ञान	02
(vii)	तंत्रिका विज्ञान	03
(viii)	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	03
(ix)	नेत्र विज्ञान	03
(x)	विकृति विज्ञान	03
(xi)	रक्त अंतरण विज्ञान	02
(xii)	सूक्ष्म जीव विज्ञान	02
(xiii)	मनोरोग विज्ञान	02
(xiv)	फुफ्फुसीय आयुर्विज्ञान	03
(xv)	विकिरण निदान	03
(xvi)	चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	01
(xvii)	इंडोक्रिनोलाजी	01
(xviii)	मरक विज्ञान और जैव सांख्यिकी	01
(xix)	मूत्र विज्ञान	03

"

(xx) पृष्ठ **11** में मद **(iii)** के स्थान पर निम्नलिखित रखें **-**

"(iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त् करने के पश्चात् संबंधित विशिष्टता या अतिविशिष्टता में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में ज्येष्ठ रेसिडेंट या अनुशिक्षक या प्रदर्शक या रजिस्ट्रार के रूप में कम से कम तीन वर्ष का शैक्षिणिक अनुभव ।"

(xxi) पृष्ठ **11,** टिप्पण **2** की पंक्ति **3** में "व्यखयता या अनुशिक्षक या ज्येष्ठ रेसिडेंट या अनुशिक्षक या प्रदर्शक" के स्थान पर "व्याख्याता या अनुशिक्षक या ज्येष्ठ रेसिडेंट या प्रदर्शक" पढ़े ।

(xxii) पृष्ठ **11,** टिप्पण **4** में "विषय-वाद विहित" के स्थान पर "विषय वार विनिर्दिष्ट" पढ़े ।

(xxiii) पृष्ठ **11** के स्तंभ **7** में टिप्पण 6 में "उपलब्ध होने कि संभावना" के स्थान पर "उपलब्ध होने की संभावना" पढ़े ।

(xxiv) पृष्ठ **12** के स्तंभ **10** में--

(क) पंक्ति **2** एवं 9 में "प्रतिनुक्ति" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" पढ़े;

(ख) पंक्ति **6** में "धरण" के स्थान पर "धारण" पढ़े;

(ग) पंक्ति **7** में "किया" के स्थान पर "किए" पढ़े ।

[फ. सं.एस-11014/02/2018-एच.आर.]

सरिता मित्तल, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

CORRIGENDA

New Delhi, the 14th March, 2018

G.S.R. 226(E).—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health Research) number G.S.R. 169 (E), dated the 13th February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 13th February, 2018,—

(i) at page 12, in rule 3, *omit* "annexed to these rules";

(ii) at page 13, in rule 5,—

(a) *omit* "Senior Administrative Grade Director Professor,";

(b) for "Schedule. The services", read "Schedule, and the services";

(iii) at page 14, in column (11), *for* "area prescribed", *read* "field to be specified";

(iv) at page 15,—

(a) in column (6), in the Note, *omit* "in India";

(b) in column (7), *for* "(S) Urology – Magister Chirurguie (Urology) ; or", *read* "(S) Urology – Magister Chirurguie (Urology) ;";

(v) at page 16,—

(a) in column (7), in Note 3, *for* "prescribed", *read* "specified";

(b) in column (11), *for* "area to be prescribed", *read* "field to be specified";

(iv) at page 17, in column (6), in the Note, *omit* "in India";

(v) at page 18, in column (7),—

(a) *for* "(S) Urology – Magister Chirurguie (Urology) ; or", *read* "(S) Urology – Magister Chirurguie (Urology) .";

(b) *for* "first post-graduate degree", *read* "post-graduate degree";

(c) in Note 3, *for* "prescribed", *read* "specified";

(vi) at page 19, in column 12,—

(a) in column (11), *for* "area to be prescribed", *read* "field to be specified";

(b) *for* "Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)", *read* "Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)";

(c) *for* "Departmental Confirmation Committee", *read* "Group 'A' Departmental Confirmation Committee";

(vii) at page 20,—

(a) in column (6), in the Note, *omit* "in India";

(b) in column (7), *for* "(S) Urology – Magister Chirurguie (Urology) ; or", *read* "(S) Urology – Magister Chirurguie (Urology).";

(c)) *for* "first post-graduate degree", *read* "post-graduate degree";

(viii) at page 21, in column (7), in Note 4, *for* "prescribed", *read* "specified".

[F. No. S.11014/02/2018-HR]

SARITA MITTAL, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.30 22:50:28 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.